राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–5,ग्रामीण विकास)

क्रमांक प. 27(36) ग्राविवि / अनु–5 / जीकेएन / बीएसआर सॉफ. / 2015–16 जयपुर दिनांक 07-10.2015

कार्यवाही विवरण

विभाग द्वारा विकसित बीएसआर सॉफ्टवेयर में नवीन आईटम जोड़े जाने एवं बीएसआर सॉफ्टवेयर विश्लेषण में विसंगतियों आदि के संबंध में दिनांक 21.09.2015 को शासन सचिव ग्रावि ग्रामीण विकास के कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी द्वारा भाग लिया गयाः–

1. श्री एस.के. अग्रवाल,अति. मुख्य अभियंता, पराविं।
2. श्री मुकेश महेश्वरी, अधीक्षण अभियता (प्रो.), पंचायती राज।
3. श्री के. के. शर्मा अधीक्षण अभियता (ग्रावि)।
4. श्री विजय कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता, नरेगा।
5. श्री लोकेश पुनियॉ, परि.अधि. (अभि.), ग्रावि।
6. श्री ज्ञानचन्द्र जेठानी, अधिशाषी अभियंता(अभि.) जिला परिषद जयपुर।
7. श्री अरविन्द सक्सैना, अधि. अभि. नरेगा, ग्रावि।
8. श्री राजेश बन्सल, अधि.अभि. (नरेगा.), जि.प. टोंक।
9. श्री रामनिवास शर्मा, अधी.अभि. जि.प. चुरू।
10. श्री लोकेश दाधीच अधि.अभि (अभि.), जि.प. कोटा।
11. श्री प्रदीप गौड अधि.अभि. (अभि.), जि.प. भरतपुर।
12. श्री संदीप माथुर, अधि.अभि. (अभि.), जि.प. जोधपुर।
13. श्री आर.के. जैन अधि.अभि. (आरएच.), मुख्यालय ग्रावि।
14. श्री रामबाबू शर्मा, अधि.अभि. (अभि.), जि.प. सीरोही।
15. श्री ओमप्रकाश परिहार, सहा. अभि. जि.प. जोधपुर।
16. श्री मुकेश गुप्ता, सहा. अभि. आवास मुख्यालय ग्रावि।
17. श्री ओपी शर्मा, सहा. अभि. ग्रावि।
18. श्री पीयूष शर्मा, एमआईएस मैनेजर, (साफ्टवेयर), मुख्यालय।

बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य बिन्दु एवं लिए गये निर्णय / निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. बैठक में अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) द्वारा विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर एवं दर विश्लेषण के सम्बंध में विस्तार से बताया गया। साफ्टवेयर स्टेट्स के अनुसार 295 पंचायत समिति मे से 294 पंचायत समिति में साफ्टवेयर बीएसआर अनुमोदित है, मात्र एक पंचायत समिति गोविन्दगढ (जयपुर) की बीएसआर अनुमोदित नही है, इस सम्बंध मे पूर्व में अधि. अभि. (अभि) जि.प जयपुर को निर्देशित करने के उपरान्त भी स्टेट्स अभी तक अपडेट नही होने की स्थिति को गंभीरता से लिया गया परन्तु अधि. अभि. जि.प. जयपुर की बैठक में उपस्थित नही होने के कारण चर्चा नही हो सकी। इस सम्बंध में सम्बंधित से वार्ता कर साफ्टवेयर मे अपडेट कराने हेतु अधी. अभि. ग्रावि को निर्देश दिये गये।

2. बीएसआर सॉफ्टवेयर से दर अनुसूचि पंचायत समितिवार सृजित की जाकर सभी जिलो में काम ली जा रही है एवं सभी ग्राम पंचायतो में निविदा आदि की प्रकियाये भी पूर्ण की जा चूकी है एंव वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। ऐसी स्थिति में अन्य नवीन आईटम पीडब्लूडी, पीएचइडी, सिचाई विभाग, आदि की बीएसआर से लिया जाने का निर्णय लिया इस हेतु विभागीय पत्र दिनांक 08.05.2015 के द्वारा जिलो को निर्देशित किया जा चुका है, पर पूर्ण सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में नवीन आईटम नही जोड़े जाने का निर्णय लिया गया एवं नवीन आईटम आगामी वर्ष की बीएसआर में जोडे जावेगे।
3. अधिशाषी अभियन्ता टोंक श्री राजेश बन्सल द्वारा पेयजल सम्बंधित आईटमो की दरो के सम्बंध में पीएचइडी की दरे अधिक होने की जानकारी दी गई एवं इन आईटमो का दर विश्लेषण भी कही पर भी उपलब्ध नही होने की जानकारी है। इस पर पेयजल सम्बंधित आईटम साफ्टवेयर में सम्मलित करने हेतु आवश्यक विवरण एवं प्रक्रिया आदि का निर्धारण करते हुए साफ्टवेयर के फारमेट पूर्ण विवरण विभाग को उपलब्ध कराने हेतु श्री राजेश बन्सल को निर्देश दिये गये।
4. बीएसआर सॉफ्टवेयर विश्लेषण में विसंगतियों एवं परिवहन सम्बंधित आईटमो के विसंगत दर विश्लेषण एवं गुणाक आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। श्री ओपी परिहार सहा. अभि. जि.प. जोधपुर द्वारा परिवहन के दर विश्लेषण एमओआरडी के अनुसार लिये जाने का सुझाव दिया गया। इस पर अधीक्षण अभियंता (प्रो.) पंचायत राज द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 30.10.2007 द्वारा जारी विश्लेषण व वर्तमान साफ्टवेयर विश्लेषण से सृजित दरो का एमओआरडी विश्लेषण से सृजित दरो का तुलनात्मक/अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्री ओपी परिहार को निर्देशित किया गया। इस के साथ ही एमओआरडी का दर विश्लेषण उपलब्ध कराने एंव तदनानुसार साफ्टवेयर फारमेट में विश्लेषण 15 दिवस में तैयार करने हेतु भी निर्देशित किया गया।
5. इसके साथ ही परिवहन के आईटमो के दर विश्लेषण की परिभाषा में परिवर्तन/संशोधन करने एवं जीकेएन 2015 में अंकित प्रावधान अनुसार वाईड्स रेशो लिये जाने का भी निर्णय लिया गया इस हेतु आईटमवार नवीन दर विश्लेषण मय संशोधित परिभाषा के साफ्टवेयर फारमेट में तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु श्री आपी परिहार सहा.अभि. को निदेश दिये गये
6. पूर्व वर्षो मे परिवहन के दर विश्लेषण में दर आंकलन पीओएल सहित गणना की जाती रही थीं। वर्तमान बीएसआर साफ्टवेयर के विश्लेषण में दर का आकलन बिना पीओएल के की जा रही हैं, जो की व्यवहारिक नही हैं। अतः परिवहन सम्बंधि आईटमो के दर विश्लेषण मय पीओएल के तैयार करने का निर्णण लिया गया।
7. जीकेएन 2015 के प्रावधान संख्या 18.1 में किये गये संशोधन परिपत्र संख्या 20/2015 दिनांक 17.09.2015 के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकी अनुमोदन समिति में जिलों से आमंत्रित अधिशाषी अभियंता–3 के स्थान पर प्रत्येक सम्भाग से एक अधिशाषी अभियंता को प्रतिवर्ष रोटेशन से आधार पर सदस्य नियुक्त करने के निदेश दिये गये।
8. इन्टरलोकिंग सीमेंन्ट कंक्रीट ब्लाक का फर्श/सडक निर्माण कार्य के आईटम का वर्तमान साफ्टवेयर विश्लेषण वर्तमान प्रचलन से सही नही है। अत इस आईटम के विश्लेषण को दो अलग अलग आइटमो मे विभक्त कर दर विश्लेषण काम लिये जने का निर्णय लिया गया। किया जावे। इन आईटमो के दर विश्लेषण तैयार करने हेतु पूर्व में गठित उपसमिति श्री ओपी परिहार एवं श्री लोकेश दाधीच को साफ्टवेयर फारमेट में तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

9. सामग्री दरो के निर्धारण एंव दर अनुसूची तैयार करने तथा निविदा स्वीकृत करने हेतु समय सारणी में अंकित समय सीमा का जीकेएन 2015 में बिन्दुसंख्या 9.7 पर वर्णित अवधि के अनुसार ही रखने के निदेश दिये गये।

10. श्रम व सामग्री सहित 50 लाख तक की राशि के निर्माण कार्य बीएसआर आधारित जी–शिड्यूल पर ठेके पर कराये जाने का निर्णय लिया गया।

11. सीमेंट कक्रीट सडक कार्य राशि रूपये 5 लाख व अधिक के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के मध्य नजर कोरकटिंग परीक्षण उपरांत सन्तोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही भुगतान एंव पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

12. नरेगा अनुभाग द्वारा तैयार की गई नवीन कार्य निर्देशिका (सामर्थ्य) का मिलान विभाग द्वारा जारी जीकेएन 2015 भाग–1 में अकिंत प्रावधानो से करने हेतु 3 सदस्यीय कमैठी द्वारा किया जावेगा। कमैठी में श्री मुकेश महेश्वरी अधिक्षण अभियंता (प्रो) श्री राजेश बंसल अधिशाषी अभियंता जि.पा. टोंक एंव श्री मुकेश गुप्ता सहा. अभि. आवास को सम्मिलित किया गया है। समिति 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इनके द्वारा दिये गये सुझाव/संशोधन अनुसार निदेशिका में संशोधन नरेगा अनुभाग द्वारा किया जावेगा।

13. सीमेन्ट कंक्रीट सडक खरंजा निर्माण हेतु जीकेएन 2015 में वर्णित प्रावधान यथा पत्थर अथवा ईट खरजा निर्माण होने पर एक वर्ष तक ट्रेफिक निकलने के उपरान्त सीमेन्ट कार्य करने की अनिवार्यता के स्थान स्टेबल बेस के आधार पर सीमेन्ट कक्रीट सडक निर्माण कराने का निर्णय लिया गया।

14. श्री सम्पतलाल सुराणा के पेटेन्ट आईटम /सामग्री वेस्ट मार्बल स्लरी से निर्मित "लो कोस्ट श्रीबाईण्डर" के उपयोग क्रम में अधि. अभि. जि.प. उदयपुर द्वारा आवश्यक आईटमो के दर विश्लेषण उपलब्ध नही होने से सूचित किया गया एवं यह भी अवगत कराया की इस आईटम का सीमित उत्पादन होने व सीमित उपयोग ही हो रहा है। इस सम्बंध में विस्तार से चर्चा के उपरान्त विभागीय बीएसआर में सम्मलित नही किये जाने का निर्णय किय गया।

15. अधिक पक्की ईटों के खरंजा निर्माण के आईटम (खडी/पट ईट) में ईकाई एक वर्गमीटर के लिये प्रयुक्त/ प्रस्तावित ईटों की सख्या के निर्धारण के क्रम में श्री रामनिवास शर्मा अधि. अभि. जि.प. चूरू द्वारा की गई मोशन स्टेडी पर विस्तार से चर्चा की गई। खरजा निर्माण के कार्य में खडी ईट होने पर अधिकतम ईटों की सख्या 57 (वेस्टेज सहित) एंव पट्टी ईट के खरजा निर्माण हेतु अधिकतम ईटों की सख्या 38 (वेस्टेज सहित) करने को निर्णय लिया गया एंव तदनानुसार बीएसआर साफ्टवेयर विश्लेषण में तत्काल संशोधन करने हेतु निदेशित किया गया ।

16. धोलपुर जिले में पत्थर खंरजा निर्माण मय नाली कार्य में पत्थर खरजा (15 सेमी मोटाई) के नीचे सामान्य स्थिति में मात्र मिटटी कार्य के उपर ग्रेवल सब बेस या मोरम 10 सेमी मोटाई के आधार पर एवं जल भराव/वाटर वाटर लॉगिग क्षेत्र में मिट्टी कार्य के साथ–साथ 10 सेमी मीटर सीमेन्ट कंक्रीट 1:5:10 में आधार के रूप में माप दण्ड निर्धारित किये गये है। इस पर शासन सचिव महोदय ने मुख्य अधिकारी जि.प. धोलपुर से वार्ता की गई एंव माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुसार धोलपुर द्वारा प्रस्तावित/ अनुमत मापदण्ड को राज्य के अन्य जिलो में भी अनुमत कराये जाने का निर्णय लिय गया इस हेतु पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कराने हेतु निदेश दिये गयें।

17. ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग–1 के मुख्य प्रावधानो की पूर्ण में पालना सुनिश्चित करने के कम में रूट लेवल तक के कार्मिक यथा कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियंताओ को माह अक्टूबर में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कराने के निदेश दिये गये है।
18. वर्ष 2016–17 हेतु सामग्री क्रय की निविदा प्रक्रिया 31.03.2016 तक पूर्ण करने हेतु विभिन्न कार्यों के कलेण्डर पर विचार–विमर्श कर अन्तिम रूप दिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) एवं
सदस्य सचिव, तकनीकी अनुमोदन समिति

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला दर निर्धारण समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पंचायती राज।
4. अतिरिक्त निदेशक ज.ग्र.वि. एवं भू– संरक्षण विभाग, कृषि भवन जयपुर।
5. वित्तीय सला हकार ग्रामीण विकास।
6. परियोजना निदेशक (मो.एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, (प्रो.) पंचायती राज ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, एसएपी, ग्रावि।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
11. अधीशाषी अभियन्ता(अभि.) सदस्य सचिव जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।
13. ✓

प्रोग्रामर PD

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) एवं सदस्य सचिव,
तकनीकी अनुमोदन समिति